सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
न अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
संख्याः— 360/2023
अन्तर्गत धारा संख्याः— 53/88 आरटीए

राज पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
कन्दर पाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।

वादीगण

बनाम्

सी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
द्राज पुत्र सरवनराम जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
ण राम पुत्र सरवनराम जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
लचन्द पुत्र सरवनराम जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
शील कुमार पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
तराम पुत्र सोहनलाल पुत्र मलिया जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
न कुमार पुत्र सोहन लाल पुत्र मलिया जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
थी पत्नी सोहन लाल पुत्र मलिया जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
प पुत्री सोहन लाल पुत्र मलिया जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
खा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा नुकेरा।
खा प्रबन्धक बैक आफ बडौदा शाखा संगरिया।
खा प्रबंधक स्टेट बैक आफ इंडिया शाखा कोर्ट रोड़ वार्ड नं. 6 संगरिया।
हसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

श्री सुभाष सैन अधिवक्ता — वादीगण

निर्णय

दिनांक :— 9.6.2023

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी नियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम चक 3 सडी ज.स. 2070—2073 के खाता सं. 67281 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि दित खाता की है। उक्त भूमि की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। कुल भूमि का विवरण निम्न र हैः—

चक नं. 03 केएसडी खाता संख्या 67/81		
त्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
155/129	57	3,8,12 ता 14 16 ता 25
155/130	58	2 ता 8
156/129	56	18,22,23
156/130	59	1 ता 3, 9, 10 कुल 7.843 है. मय गै.मु.

गण व प्रतिवादीगण के नाम चक 3 केएसडी खाता सं. 67/81 में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का जन अच्छी मंदी अनुसार काफी समय पूर्व कर लिया था। मुताबिक विभाजन वादीगण व वादीगण काश्त करते आ रहे। कब्जा काश्त बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

परन्तु उक्त खाता विवादित व उक्त कृषि भूमि मुताबिक कब्जा काश्त दर्ज नही होने के वादीगण को फसल बचने व फसली ऋण लेने व ट्युबेल कनैक्शन लेने में कठानियों का करना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण मुताबिक कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की काश्त भूमि का विवरण निम्नप्रकार है।

स. 1 पृथ्वीराज वादी सं. 2 सिकन्दर पाल प्रतिवादी स. 1 तुलसी के बहिव हक व हिस्सा व काश्त की भूमि चक 3 केएसडी खाता संख्या 67/81 प.न. 155/129 मु.न. 57 किला नं. 13,14,17ता 20/0.253 है.प्र. 16/1/0.215 है. 16/2/0.038 है. गै.मु.रा. 25/1/0.215 है. /0.038 है. गै.मु. कुल 2.783 है. नहरी मय गै.मु. वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन कि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी र राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे किन्तु वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद कारण है।

वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादी निम्नप्रकार से डिक्री या जावे कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का खाता वाद पत्र की चरण सं.3 के अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर इसी अनुसार खाता अलग कायम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी या 13 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी ीराम ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नि.4 सीपीसी पेश किया। वकील वादीगण ओर साक्ष्य पेश ं करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी बन्द किये गये।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकार है एवं प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने या वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी व तिवादीगण सहकाश्तकारों के नाम से दर्ज है। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में ई गई। प्रतिवादी संख्या 13 ने जवाब स्टेट पेश किया प्रकरण में कोई विरोधा–भास नहीं होने के रण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण द्वारा घोषणा/खाता विभाजन का अनुतोष चाहा ा है। लेकिन मौका पर कब्जा काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं होने व प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं ने एव भूमि में सह–खातेदार होने के कारण इनके हित को ध्यान में रखते हुए वादीगण के वादपत्र तहसीलदार संगरिया से समस्त सह–काष्तकारों के हक हिस्सा अनुसार राजस्थान काष्तकारी (बोर्ड फ रेवन्यु) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी–मन्दी, खाला, रास्ता की वेधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारों का विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारो की स्थिति में मौका रिपोर्ट मय प्रमाणित नजरी नक्षा मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादीगण का वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जाता है कि चक 3 केएसडी खाता संख्या 67/81 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के समस्त कारों की उपस्थिति में उनको विधि सम्मत सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उनके हक हिस्सा र राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की र अच्छी–मन्दी, खाला,रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समस्त सहकाश्तकारों का जन प्रस्ताव मय नजरी नक्षा गिरदावर व स्वयं के हस्ताक्षरित कर अपनी अनुशंषा सहित ाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार राजस्व को अलग से तहरीर जारी होकर तद्नुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.6.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया